

कृषि तथा किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा पंचकुला आदेश

हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य), नियम, 2016 के अध्याय 11A के भाग 89 में निहित प्रावधान के तहत निम्न कृषि विकास अधिकारियों का अस्थाई समायोजन 180 दिनों के लिए निम्न प्रकार किया जाता है:

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पद	अधिकारी जहां कार्यरत है	जिस कार्यालय में अस्थाई समायोजन किया गया है।
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह डागर, कृषि विकास अधिकारी	कृषि विकास अधिकारी, माजरा (दुबलधन) अधीन उप मण्डल अधिकारी, झज्जर	कृषि विकास अधिकारी, कुण्ड अधीन उप मण्डल कृषि अधिकारी, रेवाड़ी
2.	श्री सुशील कुमार, कृषि विकास अधिकारी,	कृषि विकास अधिकारी, मदाना कलां अधीन उप मण्डल अधिकारी, झज्जर	कृषि विकास अधिकारी, पालावास अधीन उप निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, रेवाड़ी

दिनांक: 01-01-2019

अजीत बालाजी जोशी, आई०ए०एस०
निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्रमांक: 1-6 /स्था०-11A(1), पंचकुला दिनांक: 1/1/2019

इसकी प्रति निम्नलिखित:

1. उप निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, झज्जर तथा रेवाड़ी:
2. उप मण्डल कृषि अधिकारी, झज्जर तथा रेवाड़ी:
3. सम्बन्धित अधिकारी:

को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

M. P. Gupta

सहायक निदेशक (प्रशा० II)

कृते: निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

CC.

1. PA/DA
2. PA/Addl. Dir (Admn.)
3. Programmer to E-mail all concerned & to upload same on Departmental portal